3.5 समानता और नारीवाद

नारीवादी समानता के मुद्दे को लैंगिक दृष्टिकोण से देखते हैं। इस संदर्भ में एक प्रभावशाली कृति सुज़ैन ओकिन की पुस्तक "जस्टिस, जेंडर एंड द फ़ैमिली" (1980) है। विभिन्न क्षेत्रों में समानता के सिद्धांतों का विस्तार करके समान अवसर या पुनर्वितरणात्मक न्याय को बढ़ावा देने वाले कानून वास्तव में समानता स्थापित नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नियम और सिद्धांत ऐसे माहौल में काम करते हैं जो पहले से ही लैंगिक असमानता, सामाजिक मानदंडों द्वारा कायम असमानता से दूषित है। इनमें से कई मानदंड महिलाओं के खिलाफ खुले तौर पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका संचयी प्रभाव असमानता को सुदृढ़ और वैध बनाना है। नतीजतन, भले ही कानून स्पष्ट रूप से लिंग के बीच अंतर नहीं करता है, फिर भी महिलाएं अक्सर खुद को विशिष्ट व्यवसायों तक ही सीमित पाती हैं। करियर बनाने वाली विवाहित महिलाओं को लैंगिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित समाज में विशेष नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

नारीवादी विश्लेषण इस बात पर ज़ोर देता है कि महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक असमानता, जैसे कि पारिवारिक निर्णय लेने में उनका सीमित प्रभाव, बच्चों की देखभाल के लिए उनकी ज़िम्मेदारी, और बाद में कार्यबल में कम भागीदारी, प्राकृतिक या सहज विकल्पों से नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाओं से उत्पन्न होती है।

फिर भी, यह एक जटिल मामला है, और नारीवादी लिंग भेद को खत्म करने के लिए, विशेष रूप से पारिवारिक मामलों में, राज्य को शामिल करने में संकोच कर सकते हैं। हालांकि सामाजिक प्रथाओं और निर्मित भूमिकाओं में लैंगिक असमानता को पहचानना और जिम्मेदार ठहराना अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन प्रभावी उपायों को लागू करना चुनौतीपूर्ण है। लैंगिक समानता की दिशा में सार्थक प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि महिलाएं स्वयं अपनी असमान स्थिति और अपनी अधीनस्थ पारिवारिक भूमिकाओं के प्रति जागरूक हों। जब महिलाएं इन सामाजिक संरचनाओं को नया आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं तभी लैंगिक समानता हासिल करने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की जा सकती है।

3.6 स्वतन्त्रता और समानता में सम्बन्ध

स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय पर राजनीतिशास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद है। उनके अनुसार स्वतन्त्रता अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है जबकि समानता का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के सभी व्यक्तियों को समान समझने से है। इन व्यक्तियों का विचार है कि यदि सभी व्यक्तियों को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी जाती है तो जीवन के परिणाम नितान्त असमान होगें और शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाए तो यह समानता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को नष्ट कर देगी।

राजनीतिक विज्ञान में स्वतन्त्रता और समानता का जो तात्पर्य लिया जाता है, उस अर्थ में स्वतन्त्रता और परस्पर विरोधी नहीं वरन् पूरक है। स्वतन्त्रता की ठीक परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि "स्वतन्त्रता जीवन की ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हों, विशेषाधिकार का नितान्त अभाव हो और व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो।" इसी प्रकार समानता की सही रूप में परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि "समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिनके अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो और इस प्रकार उस असमानता का अन्त हो सके जिसका मूल सामाजिक वैषम्य है।"

स्वतंत्रता और समानता की इन परिभाषा के अनुसार स्वतन्त्रता और समानता दोनों का ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है और इस प्रकार स्वतन्त्रता और समानता एकदूसरे के सहायक और पूरक हैं, परस्पर विरोधी नहीं। इस संबंध में एक्टन ने लिखा है कि "विरोधाभास यह है कि समानता और स्वतन्त्रता जो कि परस्पर विरोधी विचार केरूप में प्रारम्भ होते है, विश्लेषण करने पर एक दूसरे के लिए आवश्यक हो जाती सकती है।" यदि समान अवसरों के द्वारा सबके लिए खुले रहते है तो व्यक्ति अपनी रूचि के अनुसार अपनी शक्तियों का विकसा करने की यथार्थ स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकता है। जिस समाज में किसी एक वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं और सामाजिक तथा आर्थिक अन्तर पाये जाते है, वहां वह वर्ण अन्य वर्गो पर दबाव डालने की अनुचित शक्ति प्राप्त कर लेता है और निम्न वर्गो को केवल नाम मात्र की ही स्वतन्त्रता प्राप्त होती है।

वास्तव में, समानता के द्वारा स्वतन्त्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। एक ऐसा राज्य में जिसमें समानता नहीं हैं, स्वतन्त्रता हो ही नहीं सकती। इस बात को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है:-

1. यदि राजनीतिक समानता नहीं होगी, तो स्वतन्त्रता व्यर्थ हो जाएगी और जनता के एक बहुत बड़े भाग को शासन में कोई भाग प्राप्त नहीं होगा।

2. यदि नागरिक समानता नहीं होगी, तो जो व्यक्ति नागरिक अयोग्यताओ:से पीड़ित है, उन्हें स्वतन्त्रता उपलब्ध नहीं होगी।

3. यदि सामाजिक समानता नहीं होगी,तो स्वतन्त्रता पर कुछ ही व्यक्तियों का विशेषाधिकार हो जाएगा।

4. यदि आर्थिक समानता नहीं होगी, तो धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो जाएगा और केवल वही वर्ग स्वतन्त्रता का लाभ उठा सकेगा।

ऐसी स्थिति में डा0 आर्शीवादम् ने ठीक ही कहा है कि "फ्रांस के क्रान्तिकारी न तो पागल थे और न मूर्ख, जब उन्होने स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा लगाया था।